न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, हिलसा, नालंदा

Sessions Trial No-597/2023

06.01.2024

कारागत अभियुक्त मंटु कुमार को c/w के साथ कारा से प्रस्तुत किया गया। आवेदक अभियुक्त मंटु कुमार के तरफ से दिनांक 29.09.2023 को धारा 227 के अन्तर्गत आवेदन तथा दिनांक 10.11.2023 के प्रतिउत्तर पर से सुनवाई सम्पन्न की गयी तथा अभिलेख को आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया, जो निम्न है;

आवेदक अभियुक्त मंटु कुमार के तरफ से दिनांक 29.09.2023 को धारा 227 द.प्र.सं. के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन दिया गया है कि सूचक की पुत्री सर्विला कुमारी की शादी आवेदक के साथ कभी नहीं हुई है और सर्विला कुमारी आवेदक की पत्नी नहीं है ऐसी परिस्थिति में धारा 304(बी) भा.द.वि. का कोई अपराध आवेदक के विरूद्व नहीं बनता है। प्राथमिकी में सूचक रविन्द्र यादव स्पष्ट रूप से कथन किये है कि इनकी पुत्री सर्विला कुमारी की शादी वर्ष 2019 के अक्टूबर माह में हुई, और इसी सूचक रविन्द्र यादव द्वारा वर्ष 2019 में ही तेल्हाड़ा थाना काण्ड संख्या 147/2019 धारा 341, 323, 325, 354, 307/34 भा.द.वि. एवं 3/4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 06.11.2019 को दर्ज करायी है जिससे स्पष्ट रूप से कथन किये है कि इनकी पुत्री की शादी मंटु कुमार के साथ तय हुई थी, और 6,51,000/– रूपया (छः लाख इक्कावन हजार रूपया) रूपया दिये लेकिन अभियुक्त एक अपाची मोटरसाईकिल दो भर सोने का चैन, 30,000/– रूपया व कपड़ा के लिये 20,000/– रूपया वर्तन आदि की मॉग किये जिससे स्पष्ट होता है कि अक्टूबर 2019 में सूचक सर्विला की शादी मंटु कुमार के साथ नहीं हुई थी। उसी दिन की घटना को लेकर मंटु कुमार द्वारा तेल्हाड़ा थाना काण्ड संख्या–148/2019 धारा 341, 342, 323, 365/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत केस दर्ज कराया गया जिसमें इस केस के सूचक रविन्द्र प्रसाद एवं उनके लड़के अभियुक्त है। मंटु कुमार की मॉ सुजिया देवी द्वारा तेल्हाड़ा थाना काण्ड संख्या 57/2022 धारा 147, 148, 149, 341, 323, 379, 504, 506 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दर्ज कराया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से आवेदक के विरूद्व आरोप गठन हेतु धारा 304(बी) भा.द.वि. का कोई आरोप नहीं बनता है, अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदक को इस केस से उन्मोचित करने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा दिनांक 10.11.2023 को प्रतिउत्तर दाखिल करते हुये कहा गया है कि केस डायरी सहित सम्पूर्ण केस रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि अभियुक्त के विरूद्व विचारण प्रारम्भ किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। सूचक व सभी अभियोजन साक्षियों ने केस का पूर्णरूपेण समर्थन किया है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने यह मत धारित किया है कि जहॉ whispering सबूत है वहॉ यह उचित होगा कि न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित करने के बजाय विचारण के लिये बढ़े, अतः आवेदक मंटु कुमार के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 29.09.2023 को खारिज करने की कृपा करें।

सुना, प्राथमिकी का अवलोकन किया। सूचक रविन्द्र यादव ने पुलिस को दिये लिखित आवेदन में संक्षिप्त कथन है कि वह अपनी पुत्री की शादी ग्राम छज्जुपुर में राजबलम यादव के बड़े पुत्र मंटु कुमार के साथ किया था और औकात के अनुसार उपहार स्वरूप सोने का गहना, जेवर, मोटर साईकिल, एल.सी.डी. टी.वी., प्रिज, कूलर इत्यादि सामान दिया था फिर भी प्राथमिकी अभियुक्तगण सभी मिलकर दहेज में चार लाख रूपया नगद की मॉग करते थे, इस बात की जानकारी उसे अपनी पुत्री से मिली। पुत्री उनलोगों से कहती थी कि उसके पिता जी के पास पैसे नहीं है कि और रूपये दे सकते है। मंटु कुमार दहेज में चार लाख रूपये नगद की मॉग हमेशा मेरी पुत्री से करते थे नहीं लाने पर हमेशा पुत्री को वह प्रताड़ित करते थे तथा जिन्दा जला देने की धमकी अन्य प्राथमिकी नामजद अभियुक्तगण करते थे तथा दिनांक 17.05.2020 को रात्रि में सभी प्राथमिकी नामजद अभियुक्त मिलकर उसकी बेटी को मारपीट किया और गलास दबा दिया तथा ऊपर से जहर पिलाकर हत्या कर दिये।

केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के पैरा 1 में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का विवरण है जिसमें कंडिका 4 में गर्दन पर खरोच का निशान, दाहिना बाह के पंजा पर काला दाग है, का विवरण है, पैरा 5 में दाहिने ऑख के नीचे काला दाग का निशान चोट में प्रतीत होता है, का विवरण है। पैरा 2 में रविन्द्र यादव का पुनः बयान अंकित है जिसमें इन्होंने प्राथमिकी के बातों का समर्थन किया है, पैरा 5 में घटनास्थल का विवरण है, पैरा 8 में साक्षी मनीष कुमार, पैरा 9 में साक्षी दीपक कुमार पैरा 10 में कारू यादव का बयान अंकित है।

जिन्होंने घटना का समर्थन किया है पैरा 54 में मृतका सर्विला देवी के अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन का विवरण है जिसमें, External Examination Blackening below both eye, Abrasion at right side of chin....."In my opinion the cause of death could not be ascertained so viscera preserved opinion reserved till chemical examination report from FSL Patna. टंकित है।

प्राथमिकी एवं केस डायरी के अवलोकन से आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304(बी) / 34 भा0 द0 वि के अन्तर्गत आरोप गठन हेतु प्रथमदृष्टया सामग्री अभिलेख पर विद्यमान है। **उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पाधी 2003, 2 एससीसी 711** के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के धारित किया है कि धारा 227 द. प्र. सं. के स्तर पर न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री व दस्तावेजों का मूल्यांकन करना है लेकिन इसे सबूत के भाति सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिये, **बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह 1977AIR2018** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि न्यायालय को सबूतों की विस्तृत जॉच नहीं करना चाहिये और केवल इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आरोपी के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है। **महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा 1996AIR1744** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि धारा 227 द.प्र.सं. के अन्तर्गत डिस्चार्ज पर विचार करते समय न्यायालय को मुझे सबूत की विश्वसनीयता या वास्तविकता का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। न्यायालय को केवल यह पता लगाना चाहिये कि क्या सबूत यदि अखण्डनीय हो जाये तो अभियुक्तों की सजा का कारण बनेगा। **कर्नाटक राज्य बनाम एल मुनिस्वामी 1977AIR1489** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि न्यायालय को डिस्चार्ज के स्तर पर सबूतों को तौलना चाहिये ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियुक्त के विरूद्ध मजबूत संदेह है या नही। यदि संदेह गंभीर प्रकृति का है, तो अभियुक्त को विचारण के लिये सुपुर्द करना चाहिये।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तरफ से तर्को, प्राथमिकी व केस डायरी के अवलोकन के उपरान्त आवेदक अभियुक्तगण के आवेदन दिनांक 29.09.2023 को न्यायहित में खारिज किया जाता है।

दिनांक **20.01.2024** वास्ते आरोप गठन हेतु।

लेखापित

A.S.J.IV

हिलसा, नालंदा।